



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 230 राँची, शुक्रवार,

15 मई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

29 अप्रैल, 2026

विषय: झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

सं०सं०:वित्त)SFC-(31/04/20151478//वि०--भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) तथा 243(Y) के अनुसरण में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1) अंतर्गत पंचायती राज एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमण्डल) विभाग के अधिसूचना संख्या-94, दिनांक 28.01.2004 एवं अधिसूचना संख्या-1166 दिनांक 19.12.2009 के द्वारा क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड का गठन किया गया। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-1012/वित्त दिनांक 08.04.2015 एवं अधिसूचना संख्या-1955/वि० दिनांक 23.07.2019 द्वारा क्रमशः तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। सम्प्रति वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या -526 दिनांक 23.02.2024 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

2. राज्य वित्त आयोग के सुदृढीकरण एवं उक्त कार्यालय के कार्य संचालन हेतु वित्त विभागीय पत्र संख्या-1753/वि० दिनांक 19.06.2015 द्वारा दो वर्षों के लिए अर्थात् दिनांक 18.06.2017 तक के लिए 15 (पन्द्रह) पदों का सृजन किया गया तथा विभागीय पत्र संख्या 2347/वि० दिनांक 03.09.2019 द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक के लिए उक्त पदों का अवधि विस्तार किया गया।

3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक - M-11015/150/2020-FD दिनांक 09.05.2022 द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य वित्त आयोग का गठन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाई विधानसभा पटल में उपस्थापित किया जाना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 15वें वित्त आयोग की राशि विमुक्ति हेतु अनिवार्य शर्त है।
4. वित्त विभागीय पत्र संख्या-1753/वि0 दिनांक 19.06.2015 द्वारा सृजित 15 (पन्द्रह) पदों में से कुछ पदों यथा निजी सहायक, टंकक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अनुसेवक की संख्या में बढ़ोतरी किया जाना राज्य वित्त आयोग के कार्यालय के कार्यों में सुगमता हेतु आवश्यक है।
5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य वित्त आयोग के सुदृढीकरण एवं उक्त कार्यालय के कार्य संचालन हेतु सचिव, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड द्वारा निम्नांकित पदों को सृजित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल 27.01.2029 तक निम्न पद सृजित करने की निम्नवत सहमति प्रदान की गयी है:-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की संख्या	अभ्युक्ति
01	उप सचिव (झा०स०से०/झा०प्र०से०) /उपनिदेशक एवं समकक्ष स्तर (झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा)	01	
02	अवर सचिव (झा०स०से०/झा०प्र०से०)/ सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर (झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा)- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में	01	
03	प्रशाखापदाधिकारी (झा०स०से०)	01	
04	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (झा०स०से०)	02	
05	विशेष कार्य पदाधिकारी (झा०स०से०/झा०प्र०से० के अवर सचिव से अन्यून/झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा के सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर का पद से अन्यून)	01	
06	वरीय प्रधानआप्त सचिव/प्रधानआप्त सचिव	02	
07	सलाहकार (विषय विशेषज्ञ)	02	संविदा
08	रिसर्च सहायक	02	
09	टंकक-सह-कम्प्यूटरऑपरेटर	02	बाह्यस्तोत
10	चालक	01	
11	अनुसेवक	03	
कुल पद		18	

(ii) टंकक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अनुसेवक हेतु सेवा बाह्यस्रोत से प्राप्त की जाएगी तथा देय पारिश्रमिक श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर गणना की गई मासिक मानदेय से कम नहीं होगी।

(iii) टंकक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सेवा JAP-IT द्वारा निर्धारित मासिक परिलब्धि, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, कार्य अनुभव, तकनीकी कौशल आदि के अनुरूप प्राप्त की जाएगी।

(iv) बाह्यस्रोत (Outsource) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाएंगे, अपितु बाह्यस्रोत से सेवा प्राप्त किए जाने हेतु अधिकतम कर्मियों की संख्या समझी जाएगी।

6. उक्त पदों के स्थापना पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष स्थापना व्यय, 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष 092 अन्य कार्यालय, उपशीर्ष 21 राज्य वित्त आयोग, विस्तृत शीर्ष 01 वेतन एवं भत्ते से किया जायेगा। आवर्तक व्यय विवरणी परिशिष्ट- 'क' रूप में संलग्न है।

7. प्रस्ताव पर प्रशासी पद वर्ग समिति के कार्यवाही ज्ञापांक-572/वि0 दिनांक-19.02.2026 के क्रमांक-2 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2026 में मद संख्या-08 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

क्र० सं०	पद नाम	पद की संख्या	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	चिकित्सा भत्ता	परिवहन भत्ता	मकान किराया भत्ता	योग	स्तम्भ (3×9)	वार्षिक योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उप सचिव/उपनिदेशक एवं समकक्ष	01	78800	45704	1000	5400	15750	146654	146654	1759848
2	अवर सचिव/ सहायक निदेशक एवं समकक्ष	01	67700	39266	1000	5400	13540	126906	126906	1522872
3	विशेष कार्य पदाधिकारी (अवर सचिव /सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर से अन्यून)	01	67700	39266	1000	5400	13540	126906	126906	1522872
4	प्रशाखा पदाधिकारी	01	47600	27608	1000	2700	9520	88428	88428	1061136
5	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	02	44900	26042	1000	2700	8980	83622	167244	2006928
6	वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव	02	78800/ 67700	45704/ 39266	1000/ 1000	5400/ 5400	15750/ 13540	146654/ 126906	293308/ 253812	3519696/ 3045744
7	सलाहकार (विषय विशेषज्ञ)(संविदा)	02	123200	0	0	0	0	123200	246400	2956800
8	रिसर्च सहायक (संविदा)	02	55700	0	0	0	0	55700	111400	1336800

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 15 मई, 2026

9	टंकक-सह-कम्प्यूटरऑपरेटर (बाह्यस्रोत)	02	20600	0	0	0	0	20600	41200	494400
10	चालक (सरकार द्वारा निर्धारित बाह्यस्रोत के दर पर/गृह रक्षक को यथा अनुदेय दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक)	01	32640	0	0	0	0	32640	32640	391680
11	अनुसेवक (सरकार द्वारा निर्धारित बाह्यस्रोत के दर पर/गृह रक्षक को यथा अनुदेय दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक)	03	32640	0	0	0	0	32640	97920	1175040
कुल										1,77,48,072/-

परिशिष्ट- 'क'

(प्रशांत कुमार),

सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 230 - 50